

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वाष्ण्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 07/2015 (76 एल .आर. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :- 2015/00197

उनवान

मुन्ना पुत्र नवल सिंह जाति गुर्जर निवासी गढी जखौदा उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी  
जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, कंचनपुर जिला धौलपुर।

.....रेस्पॉडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध  
आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक  
15.07.2014 प्र.संख्या 129/2014 उनवानी मुन्ना  
बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलांट श्री गिरीश ब्यास उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक- 15.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 15.07.2014 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार कंचनपुर ने आराजी खसरा नंबर 551 किस्म चारागाह रकवा 24 बीघा 08 विस्वा भूमि में से 01 बीघा भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2014 से खारिज कर दी। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पॉडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को बिना सुने सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ-पत्र भी पेश करने को तैयार था, किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा माफ न करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि चारागाह की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। अतः अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की जाँच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से यह कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया व उन पर कोई नोटिस तामील नहीं हुआ है एवं विशेष कथन में अपीलाण्ट के कब्जा छोड़े जाने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने को तैयार होने के बाबजूद तहत न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नहीं की। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार कंचनपुर की पत्रावली में तामीलशुदा नोटिस संलग्न है, जो अप्रार्थी/अपीलाण्ट स्वयं द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि सुनवाई का अवसर नहीं मिला उचित नहीं है। अपीलाण्ट ने अपने विशेष कथन में निवेदन किया है कि वह न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील में अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ-पत्र, प्रस्तुत करने को तैयार थे। कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नहीं टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर ने उचित रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर एक माह की सिविल जेल आदेश

